JHARKHAND BIJLI VITRAN NIGAM LIMITED

(CIN: U40108JH2013SGC001702)

Regd. Office: Engineering Building, H.E.C., Dhurwa, Ranchi-834004,

Email:-gmrevenue2022@gmail.com, Telephone:-0651-2400826 & Fax:-0651-2400799

सार्वजनिक सूचना

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के "True-up for FY 2018-19, Annual Performance Review for FY 2019-20 & determination of Aggregate Revenue Requirement and Tariff for FY 2020-21" आदेश के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका (Review petition) पर विभिन्न हितधारकों से इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आपत्तियाँ टिप्पणियाँ आमंत्रित किया जा रहा है।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) विधुत अधिनियम , 2003 के प्रावधानों के तहत एक वितरण लाईसेंसी है, जिसके पास झारखंड राज्य में बिजली की आपूर्ति का लाइसेंस है।

प्रावधानों के अनुसार एवं JSERC (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2015 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों / विनियमों / नीतियों, के तहत जेबीवीएनएल ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के **"True-up for FY 2018-19, Annual Performance Review for FY 2019-20 & determination of Aggregate Revenue Requirement and Tariff for FY 2020-21"** आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर किया है | उक्त याचिका पर टैरिफ आदेश झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) द्वारा 01 अक्टूबर, 2020 को जारी किया गया है। इसके बाद, जेबीवीएनएल ने उपरोक्त टैरिफ ऑर्डर पर समीक्षा याचिका दायर की है|

समीक्षा याचिका से संबंधित प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:

समीक्षा याचिका की मुख्य बातें:

- FY 2018-19, FY 2019-20 और FY 2020-21 में उदय योजना के तहत मिले हुए अनुदान को राजस्व के रूप में लेने पर विचार;
- वित्त वर्ष 2020-21 में डीवीसी की बिजली खरीद लागत से संबंधित;
- JSERC द्वारा गैर–टैरिफ आय में मीटर किराए पर विचार;
- एचटी उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम बिल मांग (101 केवीए) का संशोधन;
- स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं के मामले में जहां मीटर स्थापित नहीं किया जा सकता है, प्रति बल्ब टैरिफ पर विचार;
- फिक्स चार्जेज में कमी;
- वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बिजली खरीद तालिका संख्या 62 में अंकगणितीय त्रुटि;

नोट: जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत पूरी समीक्षा याचिका जेबीवीएनएल की वेबसाइट (www.jbvnl.co.in) पर उपलब्ध है।

हितधारकों की टिप्पणियाँ/सुझाव:

- आयोग ने जेबीवीएनएल को इस नोटिस के माध्यम से उपरोक्त याचिका पर जनता से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया है।
- याचिका जेबीवीएनएल की वेबसाइट (www.jbvnl.co.in) पर उपलब्ध है।

- सुझाव/ टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर 15 सितंबर, 2022 तक जेबीवीएनएल के कार्यालय को भेजी जा सकती हैं। सुझावों/टिप्पणियों की प्रति सचिव, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को नीचे दिए गए पते पर भी भेजी जा सकती है:

कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यि एवं राजस्व)
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)
इंजीनियरिंग भवन, एचईसी, धुर्वा, रांची–834004
मोबाइल नंबर –7004784607, 8709711244, 9661842194
Email- gmrevenue2022@gmail.com

सचिव
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
प्रथम तल , कार्यालय झारखंड राज्य आवास बोर्ड (Old Building),
हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रांची -834002
Telephone & Fax No.: 0651 2285903
Email id – info@jserc.org

- आपत्तियां अंग्रेजी या हिंदी में समर्पित की जा सकती हैं। प्रेषक द्वारा अपना पूरा नाम, डाक पता, ई–मेल आईडी और टेलीफोन नंबर स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। यदि किसी संगठन, उपभोक्ता या उपभोक्ता समूह की ओर से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, तो यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि प्रेषक व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहते हैं , तो आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई में उन्हें अवसर दिया जाएगा, उपरोक्त सुनवाई का कार्यक्रम JSERC द्वारा अपने Website के माध्यम से सूचित की जाएगी
- जेबीवीएनएल 15 सितंबर, 2022 तक प्राप्त सभी आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों का जवाब सात दिनों के भीतर 22 सितंबर, 2022 तक हितधारकों को उपलब्ध कराया जायेगा| हितधारक जेबीवीएनएल द्वारा दिए गए उत्तरों पर उनके प्रत्युत्तर में अपना पक्ष जन सुनवाई के दौरान या 24 सितंबर, 2022 तक समर्पित कर सकते हैं ।

3/8/22

(अरविन्द कुमार)
कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य एवं राजस्व)